न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 4 / 2018 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. लुणा पिता हिरा हडक्सी, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. खुमाणसिंह पिता हिरा हडक्सी, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रूपसिंह पिता गोपाला, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जसवन्तसिंह पिता रूपसिंह, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. विकेश पिता जसवन्तसिंह, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रवीन्द्र पिता जसवन्तसिंह, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. सूर्यसिंह पिता रूपसिंह, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. रमेश पिता गोबरीया, जाति लबाना, निवासी डुंगरा बड़ा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़
दिनांक 27–04–2018, प्र॰सं॰ 5 / 18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री भगवतपुरी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 6

———::———

निर्णय दिनांक 24–01–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट / प्रार्थी का वाद संख्या 11 / 2016 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–2017 को अदम

हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 5/2018 अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 16–01–2018 को दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन अखण्डित शपथ पत्र के साथ पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रेस्टोरेशन आवेदन संख्या 5/2018 दिनांक 27–04–2018 को प्रार्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारणों की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री भगवतीपुरी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

→ हमारे द्वारा यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन अखण्डित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया था तथा विलम्ब करीब 2 माह का है, जो ऐसा विलम्ब नहीं है कि जिसके लिए किसी पक्षकार को गुणावगुण पर निर्णय से महरूम किया जा सके। अपीलान्ट अशिक्षित व ग्रामीण काश्तकार हैं। अतएवं न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाजदायरी खारिजी निर्णय 500/– कोस्ट पर अपास्त किया जाकर बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का बाजदायरी खारिजी निर्णय दिनांक 27–04–2018 अपास्त किया जाता है तथा 500/– कोस्ट पर बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाता है। कोस्ट अदा किये जाने पर मूल वाद संख्या 11/2016 को पुनः नम्बर पर लिया जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर